यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्निक रूद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तरखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्निक रूद्रप्रयाग** के माह 06/2010 से 02/2017 तक के लेखा अभिलोखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं श्री दीपेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री एस के जौहरी लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 06.03.2017 से 09.03.2017 तक सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः इस इकाई की यह प्रथम लेखा परीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2010 से 02/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(ii) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है।

(iii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्लान		नॉन प्लान		अवशेष	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	प्लान	नॉन प्लान
2013-14	55.99	54.84	0	0	1.15	0
2014-15	61.43	60.13	0	0	1.30	0
2015-16	123.60	121.46	0	0	2.14	0
2016-17 (फरवरी 2017 तक)	92.38	77.92	0	0	14.46	0

- अवशेष धनराशि वर्षांत में शासन को समर्पित कर दी जाती है।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य	बचत
2010-11	केंद्रीय सुदृढ़ीकरण	शून्य	999950	998815	1135

(iv) इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना, जिला योजना एवं केंद्रीय योजना द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई स श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. निदेशक प्राविधिक शिक्षा
2. अपर निदेशक प्राविधिक शिक्षा
3. संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा
4. प्राधानाचार्य

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्निक रूद्रप्रयाग** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्निक रूद्रप्रयाग** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 02/2014,03/2012 व 08/2010 को प्राप्ति की विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। व्यय के विस्तृत जांच के लिए चयनित माह 08/16, 11/15, 03/12 व 07/10 चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्चेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्त) अधिनियमस, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तर- 1 - रु. 5.11 लाख कि धनराशि के 11 लैपटॉपों के निष्क्रिय पड़े रहना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 के नियम 260-B के Appendix XIX-D के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार If the articles proposed to be auctioned are serviceable or likely to become so after reasonable repairs and are being auctioned due to being surplus, a list of such articles should first be circulated to other offices of the parent department and also to offices of other departments likely to require the surplus articles to ascertain if they can be utilised by any of them.

राजकीय पॉलिटैक्निक, रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्तमान में संस्थान में कुल 12 लैपटॉप उपलब्ध हैं जिसमें से रु. 5.11 लाख कि धनराशि के 11 लैपटॉप उपयोग में नहीं लाये जा रहे हैं, न ही निदेशालय को वापस किए गए हैं।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुये अपने उत्तर में बताया गया कि पूर्व में कम्प्यूटरों कि संख्या कम होने के कारण लैपटॉप को लैब में प्रयोग किया जाता था, परंतु अब कंप्यूटर आ जाने के कारण इन्हे कार्यालय में रखा गया है। इकाई द्वारा अपने उत्तर में यह भी बताया गया कि पुराने लैपटॉप आउटडेटेड होने के कारण माह 05/2013 में निदेशालाय से एक नया लैपटॉप प्राप्त किया गया था।

इस प्रकार इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि तीन वर्ष से भी अधिक समय से रु. 5.11 लाख कि धनराशि के 11 लैपटॉप उपयोग में नहीं लाये जा रहे हैं।

अतः रु. 5.11 लाख कि धनराशि के 11 लैपटॉपों के निष्क्रिय पड़े रहने का यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-तीन

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या
इस इकाई की यह प्रथम लेखा परीक्षा		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-चार

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

शून्य

भाग-पाँच

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु **प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्निक रूद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गएः

(i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री डी सी गुप्ता	प्राधानचार्य	जून 2010से 27/09/2012
2	श्री जितेंद्र प्रसाद	प्राधानचार्य	28/09/2012 से 02/11/2012
3	श्री देवेंद्र गिरि	प्राधानचार्य	03/11/2012 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्निक रूद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार/उप-महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.